

प्रेषक,

संजय कुमार यादव-II,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0-05, बुलन्दशहर।

सेवा में,

माननीय महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

विषय: उ0प्र0 शासन के शासनादेश
संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक
28 जून, 2024 के अनुक्रम में शासनादेश
संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक
11 जुलाई, 2024 के प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना को चुने जाने का
विकल्प चुनने के बाबत प्रार्थना-पत्र:-

आदरणीय महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सादर निवेदन निम्नवत है:-

01- यह कि प्रार्थी संजय यादव पुत्र राजपति यादव, वर्तमान में
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-05, बुलन्दशहर के पद पर
कार्यरत है।

02- यह कि प्रार्थी की न्यायिक सेवा में नियुक्ति
दिनांक-26.05.2006 को उ0प्र0 न्यायिक सेवा-2003 के अन्तर्गत अपर
सिविल जज (जू0डि), गोण्डा के पद पर जनपद न्यायालय, गोण्डा में
हुई। उक्त पद पर प्रार्थी के योगदान की तिथि दिनांक-16.06.2006 है,
जिसका विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003 है, जिसके अनुक्रम में प्रार्थी
वर्तमान में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0-05 बुलन्दशहर के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी का अब तक
नवीन पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन कटौती (PRAN ID)
संख्या-111002184842 पर की जा रही है।

03- यह कि प्रार्थी वर्तमान में नई परिभाषित अंशदान
पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है, किन्तु प्रार्थी
उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-
14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024
के अनुक्रम में उ0प्र0 सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत
पुरानी पेंशन योजना का वरण/चयन कर रहा है, जिसके लिए प्रार्थी द्वारा
उ0प्र0 शासन के उक्त शासनादेश
संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11
जुलाई, 2024 के संलग्नक शासनादेश



संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक
28 जून, 2024 के रूप में जारी विकल्प-पत्र को भरकर पुरानी
पेंशन योजना के विकल्प का चयन करते हुए, प्रत्यावेदन के साथ
आदरणीय महोदय को प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आदरणीय महोदय से अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि
उ0प्र0 सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत "पुरानी
पेंशन योजना" का लाभ प्रार्थी को प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।
ससम्मान्!

संलग्नक:-

शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024
दिनांक 11 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित विकल्प-पत्र।

दिनांक-09.08.2024

भवदीय,

(संजय कुमार यादव-II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0-05, बुलन्दशहर।

J.O. Code-UP6411

Forwarded
Bulandshahr Judgeship.
No. 2451/11/Date 09/08/2024.

Manjeet Singh Sheoran
District Judge
Bulandshahr
09/08/24

विकल्प-पत्र

1.	नाम	संजय कुमार यादव-II
2.	वर्तमान पदनाम	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।
3.	वेतनमान	1,44,840-1,94,660/-
4.	वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग
5.	राज्य सरकार के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	उ0प्र0 शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 (माध्यम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद)
6.	विज्ञप्ति की तिथि	22-28 नवम्बर, 2003, रोजगार समाचार (विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
7.	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26.05.2006 (संख्या 2430/II-4-06-32(1)/2001 टी.सी. 1 उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ, दिनांकित-26.05.2006)
8.	योगदान की तिथि	16.06.2006
9.	जन्मतिथि	20.03.1979
10.	सेवानिवृत्ति की तिथि	30.03.2039

मैं, संजय कुमार यादव पुत्र राजपति यादव, शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर-
नाम-
पदनाम-

(संजय कुमार यादव-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0-05, बुलन्दशहर।
J.O. Code-UP6411

घोषणा-पत्र

मैं, **संजय कुमार यादव-II**, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-05, बुलन्दशहर यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम-

(**संजय कुमार यादव-II**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0-05, बुलन्दशहर।

J.O. Code-UP6411

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा

श्री संजय कुमार यादव-II, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-05, बुलन्दशहर को उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (✓)**/नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

9-8-24
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

Manjeet Singh Sheoran
District Judge
Bulandshahr